क्रम-संख्या–158

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 सितम्बर, 2024

भाद्रपद 21, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–9

———

संख्या 1620/नौ-9–2024-07ज-2024

लखनऊ, 12 सितम्बर, 2024

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–25

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 550 के साथ पठित धारा 114 की उपधारा (9–क), धारा 540 उपधारा (1) और धारा 124 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 23 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, नगर विकास अनुभाग–9, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में या ई–मेल आई0डी0 nagarvikasanubhag9@gmail.com पर प्रेषित किये जायेंगे।

केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर प्राप्त होंगे।

नियमावली का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग स्थान का सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन) नियमावली, 2024 कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश में प्रत्येक नगर निगम पर लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2–(1) जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) से है;

(ख) ''कार बाजार'' का तात्पर्य, समनुषंगिक दुकानों सहित/रहित, प्रयुक्त कारों के क्रय–विक्रय हेतु किसी बाजार स्थल से है;

(ग) ''कार स्पा/सैलून'' का तात्पर्य, समनुषंगिक दुकानों सहित/रहित, ऐसे स्थान या प्रसुविधा से है जहां कारों की धुलाई की जाती है और उनकी मूल चमक पुनः वापस लाई जाती है;

(घ) ''समतुल्य कार स्थान'' जिसे आगे ''ई0सी0एस0'' कहा गया है, का तात्पर्य किसी कार के सन्दर्भ में किसी यान की पार्किंग के लिए अपेक्षित ऐकिक स्थान से है;

(ङ) ''शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार'' का तात्पर्य, यान की पार्किंग हेतु प्रयोक्ता से संगृहीत प्रभार से है;

(च) ''परिनिर्धारित क्षति'' का तात्पर्य, एक निश्चित धनराशि या धनराशि की गणना के लिए नियत सूत्र से है, जो किसी पक्षकार द्वारा देय होगा यदि वह संविदा भंग करता है ताकि क्षतिग्रस्त पक्षकार को हुई हानि के लिए प्रतिकर दिया जा सके;

(छ) ''यांत्रिक पार्किंग'' का तात्पर्य किसी उत्थापक युक्ति के माध्यम से ऊर्ध्वाधर रूप से क्रमबद्ध बहुस्तरीय यान पार्किंग उपलब्ध कराने हेतु किसी यांत्रिक प्रणाली से है;

(ज) ''बहुस्तरीय पार्किंग'' का तात्पर्य किसी ऊर्ध्वाधर पार्किंग स्थान से है जिसमें यानों के पार्क के लिए बहुतल हों, जैसे–ढलान आधारित पार्किंग, यांत्रिक पार्किंग आदि;

(झ) ''मार्गेत्तर पार्किंग'' का तात्पर्य मार्ग को छोड़कर किसी भी स्थल पर यान को पार्क करने से है। मार्गेत्तर पार्किंग स्थान विभिन्न प्रकार के होते हैं–खुला/धरातल, अधोतल, बहुस्तरीय पार्किंग और/या इनका समुच्चय;

(ञ) ''मार्ग पर पार्किंग'' का तात्पर्य सार्वजनिक सड़क या मार्ग के किनारे यानों को पार्क करने से है;

(ट) ''खुली/धरातलीय पार्किंग'' का तात्पर्य ऐसे पार्किंग स्थलों से है जो किसी भवन से आच्छादित न हों और केवल भूतल पर ही उपलब्ध हों;

(ठ) ''प्रचालक'' का तात्पर्य पार्किंग स्थान के रख–रखाव, प्रबन्धन और शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार की वसूली के लिये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किसी अभिकरण से है;

(ड) ''पार्किंग स्थान'' का तात्पर्य ऐसे प्राधिकृत और चिन्हांकित भूखण्ड या भवन या संरचना या स्थल से है, जहां यान पार्क किये जा सकते हैं, जिसमें बहुस्तरीय पार्किंग जैसे यांत्रिक पार्किंग इत्यादि सम्मिलित हैं;

(ढ) ''यान'' का तात्पर्य मार्ग पर उपयोग किये जाने में समर्थ किसी पहियेदार गाड़ी से है, और इसमें बाइसिकिल, तिपहिया या उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) में यथा परिभाषित मोटर यान सम्मिलित हैं;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हों।

प्रतिषेध

3–(1) कोई भी व्यक्ति, नगर आयुक्त द्वारा चिन्हित और प्राधिकृत पार्किंग स्थलों के अतिरिक्त, किसी भी सड़क, सड़क पटरी, फुटपाथ अथवा सार्वजनिक स्थल पर यान पार्क नहीं करेगा और न करवायेगा। व्यक्तिगत स्थल के मामले में नगर निगम के पक्ष में लाइसेंस शुल्क के संदाय के साथ वाणिज्यिक पार्किंग की अनुमति दी जा सकेगी।

(2) पार्किंग स्थल पर यान चलाने वाले या पार्किंग करने वाले किसी व्यक्ति को पार्किंग स्थल पर प्रदर्शित चिन्हों और अनुदेशों का पालन करना होगा और उसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों का अनुसरण करना होगा।

पार्किंग प्रबन्धन समिति का गठन और संरचना

4–प्रत्येक नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति, जिसे पार्किंग प्रबन्धन समिति के नाम से जाना जायेगा, गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(एक)	सचिव, विकास प्राधिकरण (यदि कोई हो)	सदस्य
(दो)	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त	सदस्य
(तीन)	एक अधिकारी जो यातायात पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त या अपर पुलिस आयुक्त (यातायात) से अनिम्न रैंक का हो	सदस्य
(चार)	संबंधित नगर निगम का अपर जिला मजिस्ट्रेट	सदस्य
(पाँच)	संबंधित नगर निगम के लोक निर्माण विभाग का ज्येष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(छः)	संबंधित नगर निगम के उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन का ज्येष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(सात)	संबंधित नगर निगम के परिवहन विभाग का ज्येष्ठतम अधिकारी	सदस्य
(आठ)	नगर और ग्राम नियोजन विभाग का सहायक नगर नियोजक से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, यदि कोई हो, नगर नियोजन शाखा/विकास प्राधिकरण विभाग का कोई अधिकारी, जो नगर नियोजक से अनिम्न रैंक का हो (उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नाम निर्दिष्ट)	सदस्य
(नौ)	नगर निगम का लेखाधिकारी	सदस्य
(दस)	सम्बन्धित नगर निगम के समस्त जोनल अधिकारी	सदस्य
(ग्यारह)	नगर आयुक्त, मुख्य अभियन्ता से भिन्न किसी अधिकारी को, जो सहायक अभियन्ता (सिविल/यातायात/पर्यावरण) से अनिम्न रैंक का हो, चुन सकता है	सदस्य सचिव
(बारह)	परिवहन क्षेत्र में प्रतिष्ठित संगठन/संस्था से एक विशेषज्ञ	सदस्य

समिति के कृत्य

5–पार्किंग प्रबन्धन समिति के कृत्य होंगे :–

(एक) ई0सी0एस0 की संख्या सहित नगर में समस्त सार्वजनिक और/या निजी मार्ग पर पार्किंग या मार्गेत्तर पार्किंग स्थान का सर्वेक्षण, पहचान और अन्तिम रूप देना जो वे परिक्षेत्रवार प्रदान कर सकते हैं। यहां सर्वाधिक सम्भव ई0सी0एस0 की गणना, स्थानीय भवन उपविधि, परिचालन और सेवा क्षेत्र सहित, के अनुसार की जायेगी।

(दो) पार्किंग स्थान के आवंटन और निस्तारण की प्रक्रिया की देखभाल और अनुश्रवण करना।

(तीन) पार्किंग स्थान संबंधित मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

(चार) पार्किंग स्थान के प्रबन्धन का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करना और समय–समय पर नगर निगम को सुधार के लिए सुझाव देना।

(पाँच) मामले के संबंध में जैसा वह उचित समझे, लोकहित में अन्य कृत्यों को निष्पादित करना।

(छः) पार्किंग स्थान और उनकी दक्षता और सुविधाओं में वृद्धि के मामले में ऐसा परामर्श देना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अपेक्षा किया जाय या नगर निगम द्वारा अनुरोध किया जाय।

(सात) प्रकरण के संबंध में सुविधाओं के विकास, प्रबन्धन, अनुरक्षण और परिवृद्धि सहित यानों की पार्किंग और पार्किंग स्थान क्षेत्र में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना।

(आठ) समिति अपने कृत्यों के सम्यक निष्पादन के लिए छः मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

पार्किंग स्थलों की व्यवस्था

6–नगरों में विभिन्न स्थलों पर यथा अपेक्षित पार्किंग स्थलों की व्यवस्था नगर निगम द्वारा निम्नलिखित रीति से की जा सकेगी :–

(क) विद्यमान पार्किंग स्थलों की क्षमता विकास एवं समुचित अनुरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) बहुस्तरीय पार्किंग स्थान का निर्माण, उनकी संख्या में वृद्धि और यथा अपेक्षित तलों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

(ग) यांत्रिक पार्किंग व्यवस्था की वरीयता के साथ बहुस्तरीय पार्किंग व्यवस्था विशेषतः नगर के सघन और पुराने क्षेत्रों में प्रोत्साहित की जायेगी।

(घ) पार्किंग स्थल पर पार्किंग जगह के ई0सी0एस0 के न्यूनतम 20 प्रतिशत का उपबंध विद्युत यान की चार्जिंग के लिए सुनिश्चित किया जायेगा।

(ङ) विशेष परिस्थितियों में पार्किंग प्रबन्धन समिति द्वारा नगर आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात् परिलक्षित और सिफारिश की गयी न्यूनतम बारह मीटर या अधिक चौड़ी सड़कों और गलियों पर पंक्तिबद्ध पार्किंग की अनुमति दी जा सकेगी।

(च) मार्गेत्तर पार्किंग में पार्किंग जगह के प्रवेश द्वार के साथ की पहली कुछ पार्किंग में निःशक्तजनों के लिए आरक्षण उपबंधित किया जायेगा।

(छ) पार्कों के नीचे पार्किंग स्थल का निर्माण इस प्रकार किया जाये कि पार्कों में भूतल पर लगभग 90 प्रतिशत भाग में हरित क्षेत्र हो और उसका विकास और अनुरक्षण विद्यमान भवन उपविधियों के अनुसार सुनिश्चित हो।

(ज) पार्किंग स्थलों के लिए वैकल्पिक स्पाटों यथासम्भव फ्लाई ओवर के नीचे, हरित पट्टिका के साथ, बाजारों और मेलों के लिए स्थल, खुले सार्वजनिक जगहों और ऐसे ही अन्य स्थलों पर जब उनका उपयोग उक्त कार्यों में न हो रहा हो नियत अवधि में पार्किंग व्यवस्था की जा सकेगी।

(झ) व्यावसायिक और मिश्रित भू–प्रयोग के संबंध में पार्किंग मानकों का पुनर्विलोकन और समुचित गलियों में प्राधिकृत पार्किंग का उपबंध करने पर विचार किया जा सकेगा।

(ञ) समस्त सार्वजनिक, व्यावसायिक और संस्थागत भवनों में यथोचित पार्किंग स्थानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

(ट) सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर रात 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक खड़े किये गये यानों के लिए शास्ति सहित पार्किंग शुल्क या प्रयोक्ता प्रभार वसूल किये जा सकेंगे। यान स्वामी द्वारा रात्रिकालीन पार्किंग के लिए सार्वजनिक जगह के उपयोग के निमित्त नगर निगम से परमिट प्राप्त करना होगा। नगर आयुक्त रात्रिकालीन पार्किंग परमिट जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करायेगा, जो यान स्वामी से रात्रिकालीन पार्किंग शुल्क और/या शास्ति प्रभारित करने से पूर्व अनिवार्य होगा। सार्वजनिक सड़क और स्थलों पर चार पहिया यानों की रात्रिकालीन पार्किंग परमिट जारी करने हेतु न्यूनतम प्रभार दर निम्नवत् होगा :–

नगर निगमों के भीतर सार्वजनिक सड़कों और स्थलों पर रात्रिकालीन पार्किंग प्रभारः–

प्रति रात्रि (रूपये में)	साप्ताहिक (रूपये में)	मासिक (रूपये में)	वार्षिक (रूपये में)
100	300	1,000	10,000

रात्रिकालीन पार्किंग का परमिट न प्राप्त करने के मामले में शास्ति परमिट शुल्क का 3 गुना होगा।

(ठ) नगर निगम जहां भी वह लोकहित में उचित समझे, खुली बोली के माध्यम से अधिनियम की धारा 137–क के उपबन्धों के अनुसार पार्किंग स्थान को विकसित करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता माध्यम के अधीन निजी क्षेत्र से सहभागिता कर सकता है।

(ड) जब कभी विकास प्राधिकरण, विकासकर्ताओं या किसी प्रकार की संस्था द्वारा नगरीय क्षेत्र में कोई विकास योजना बनायी जाये अथवा अभिन्यास तैयार या स्वीकृत किये जाये अथवा इसी प्रकार के कोई कार्य किये जायें तो यथोचित पार्किंग की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। वैधानिक कार पार्किंग के उपबंधों को भवन उपनियम में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

(ढ) लोक परिवहन की मुख्य बुनियादी बातों पर ''पार्क एण्ड राइड'' की सुविधाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ण) नगर निगम द्वारा निर्मित और प्रचालित पार्किंग व्यवस्थाओं पर दबाव कम करने के लिए पार्किंग व्यवस्था के निजीकरण पर भी विचार किया जायेगा तथा उसे विनियमित किया जायेगा।

(त) सामूहिक परिवहन और मेट्रो आदि की सुविधायें उपलब्ध कराकर और निजी यानों के उपयोग को हतोत्साहित कर पार्किंग की मांग में कमी लाई जा सकेगी।

(थ) सार्वजनिक पार्किंग के लिए नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनल्स स्टैण्ड्स, कार्यालयों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, कारखानों, अस्पतालों, व्यावसायिक भवनों और नगर के अन्य अनावासीय भवनों और स्थानों के समीप अन्य सार्वजनिक और निजी स्थापन द्वारा व्यावसायिक उपयोग के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।

(द) क्लोज सर्किट टेलीविजन, निगरानी कैमरे, डिजिटल साइनेज, बूम बैरियर, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट, हैण्ड हेल्ड युक्ति, फास्टैग और अन्य भुगतान गेटवे के साथ एकीकरण, स्वचालित टिकट डिस्पेंसर, मोबाइल एप्लीकेशन, एनालिटिक्स के साथ पार्किंग सेंसर/कैमरा, एकीकृत नियंत्रण और कमान केन्द्र (आई0सी0सी0सी0)/इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आई0टी0एम0एस0)/सूचना प्रौद्योगिकी (आई0टी0) नियंत्रण के साथ एकीकरण के उपबंधों के साथ पार्किंग कार्ड युक्त स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, नये पार्किंग स्थान और विद्यमान पार्किंग स्थान, जो प्रचालन और प्रबन्ध के लिए निविदागत हैं, के लिए अनिवार्य होगा। यह पार्किंग स्थान का संचालन और अनुरक्षण का देखभाल करने वाले अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। शहर/जोन की पार्किंग के लिए तैयार की गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0)/प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) हित की अभिव्यक्ति (ई0ओ0आई0) में इन उपबंधों को रखा जायेगा।

(ध) नगर आयुक्त फास्टैग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के प्रोत्साहन के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन0पी0सी0आई0) के साथ करार का ज्ञापन (एम0ओ0यू0) कर सकेगा।

(न) विद्यमान भवन उपविधि के अनुसार केवल उपलब्ध बहुस्तरीय कार पार्किंग क्षेत्र में कार स्पा/सैलून या कार बाजार अपेक्षित अवसंरचना के साथ आ सकता है। इन्हें खुली/भूतल पार्किंग स्थान में अनुमति नहीं दी जायेगी ।

(प) सार्वजनिक पार्किंग के लिए वाणिज्यिक उद्देश्य से अपनी भूमि/परिसर उपलब्ध कराने के लिए निजी भूमि/परिसर स्वामी से लाइसेंस शुल्क लिया जायेगा। लाइसेंस शुल्क के लिए मानदण्डी–दर समय–समय पर पार्किंग प्रबन्धन समिति द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे।

(फ) जब तक कि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से नगर आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से कोई छूट नहीं दी जाती, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों, आवास विकास परिषद क्षेत्रों आदि में और नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग (पी0डब्लू0डी0) और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) की सड़कों पर पार्किंग इस नियमावली द्वारा शासित होगी। वाणिज्यिक प्रयोजन से सार्वजनिक पार्किंग के लिए अपनी भूमि परिसर उपलब्ध कराने के लिए इन विभागों/संगठनों से अनुमति शुल्क प्रभारित किया जायेगा।

(ब) पार्किंग साइट के भीतर प्रसाधन, पेयजलापूर्ति आदि के रूप में नगरीय सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

सीमा का सीमांकन

7–(1) पार्किंग प्रबन्ध समिति, नगर पालिका की सीमा के भीतर समस्त सार्वजनिक और निजी सड़क पर और सड़क के बाहर पार्किंग स्थान का सर्वेक्षण करेगी, उनकी पहचान करेगी और उन्हें अन्तिम रूप देगी तथा सर्वेक्षण की अपेक्षानुसार दो पहिया वाहनों के लिए आरक्षित जगह के कतिपय हिस्से के साथ वे उपलब्ध करा सकने वाले ई0सी0एस0 की संख्या भी तय करेगी।

(2) प्रत्येक पार्किंग स्थान की सीमा का सीमांकन किया जायेगा और सीमा चिन्ह उपदर्शित किया जायेगा।

(3) उपनियम (2) में अनुबद्ध सीमा के बाहर पार्किंग करने पर पार्क प्रबन्ध समिति द्वारा दी गयी सिफारिश के अध्यधीन जुर्माना लगाया जायेगा।

(4) अन्तिम रूप से चयनित पार्किंग स्थानों की सूची, नगर निगम की वेबसाइट/पोर्टल पर उसके विवरण जैसे अक्षांश–देशांतर मान, उपलब्ध ई0सी0एस0 की संख्या आदि के साथ प्रकाशित की जायेगी।

(5) पार्किंग प्रबन्ध समिति के लिए इस नियमावली के गजट में प्रकाशित किये जाने के 90 दिवस के भीतर अंतिम रूप से चयनित किये गये पार्किंग स्थलों की मास्टर सूची प्रकाशित करना अनिवार्य है। यदि अपेक्षित हो तो वह बाद में सूची को संशोधित कर सकेगी।

पार्किंग स्थानों का प्रचालन एवं अनुरक्षण

8–(1) नगर निगम द्वारा विकसित पार्किंग स्थानों का समुचित अनुरक्षण नगर आयुक्त अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(2) पार्किंग स्थानों का अनुरक्षण, प्रचालन, प्रबन्धन, विनियमन और उसके लिए प्रयोक्ता प्रभार की निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से वसूली कराने हेतु नगर आयुक्त को अधिकार होगा :–

(एक) सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता करार द्वारा,

(दो) सार्वजनिक नीलामी द्वारा,

(तीन) निविदा आमंत्रित करने के द्वारा,

(चार) स्थानीय निकाय के निजी स्रोतों द्वारा (आपात स्थिति में मात्र 6 मास से अनधिक अवधि के लिए)।

(3) उपनियम (2) में उल्लिखित किसी भी रीति के लिए निबन्धन और शर्तों का अवधारण नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा और इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र–1 में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

(4) अन्य विवरण निबन्धन और शर्तों, प्रतिबन्धों, सूचनाओं, प्रतिभूतियों, प्रक्रियाओं एवं अन्य अपेक्षित निदेशों का अवधारण नगर निगम द्वारा किया जा सकेगा।

(5) राज्य सरकार के अनुमोदन के बिना किसी सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) क्रियाकलाप सहित किसी विज्ञापन और क्रियाकलाप की अनुमति पार्किंग स्थानों की सीमा में नहीं दी जायेगी।

दरों का अवधारण

9–(1) यानों की पार्किंग के लिए प्रभार की दरें पार्किंग प्रबन्ध समिति की सिफारिश पर नगर निगम द्वारा अवधारित की जायेगी। जब तक नगर निगम दरें अनुमोदित नहीं करता, नगर आयुक्त पार्किंग प्रबन्ध समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों को कार्यान्वित करेगा।

(2) नगर के विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण करने के पश्चात, पृथक श्रेणी में पार्किंग के प्रभार की श्रेणीवार पृथक दरें, पीक आवर, नॉन पीक आवर, वीकडेज, वीकेन्ड, क्षेत्र की सघनता और वाणिज्यिक क्रियाकलाप आदि को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग प्रबन्ध समिति द्वारा सिफारिश की जा सकेगी।

(3) पार्किंग स्थानों पर पार्किंग प्रभार की दरें निम्नलिखित दरों से कम नहीं होंगी –

पार्किंग स्थानों के लिए न्यूनतम पार्किंग प्रभार										
नगर निगम	दो घण्टे के लिए (रूपये में)		क्रमवार एक घण्टे के लिए (रूपये में)		रात्रि पार्किंग (रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक) (रूपये में)		24 घण्टे (रूपये में)		मासिक पास (रूपये में)	
	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया	2 पहिया	4 पहिया
10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले	15	30	7	15	50	100	57	120	855	1800
10 लाख से कम जनसंख्या वाले	10	20	5	10	30	60	40	80	600	1200

(4) पार्किंग प्रभार की दरें प्रारूप–2 में किसी सहजदृश्य स्थान पर न्यूनतम 1 मीटर X-0.75 मीटर का बोर्ड लगाकर प्रदर्शित की जायेगी।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पार्किंग शुल्क दर बोर्ड को किसी कागज, रंग या अन्य प्रकार से विरूपित न किया जाये।

(6) यान पार्किंग के लिए प्रभार की दरें जैसा कि नियम 9 के उपनियम (3) में दी हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित की जायेंगी।

पार्किंग स्थानों के लिए लाइसेंस

10–(1) नियम–8 के उपनियम (2) के अधीन पारदर्शी रीति से प्रचालकों को विभिन्न विधाओं में पार्किंग स्थानों की लाइसेंस की स्वीकृति संबंधी सिफारिशें देने के लिए नगर आयुक्त द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत अपर नगर आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न रैंक एक अधिकारी की अध्यक्षता में ऐसी संख्या में सदस्यों सहित जिसे वह उचित समझे, एक नीलामी/निविदा समिति का गठन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक निगम में अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निम्नलिखित से सम्मिलित एक निविदा समिति का गठन किया जायेगा–

क्र0 सं0	अधिकारी	पदनाम
1	अपर नगर आयुक्त	अध्यक्ष
2	निगम का मुख्य अभियन्ता	सदस्य
3	सहायक नगर आयुक्त से अनिम्न रैंक पंक्ति का एक अधिकारी, जो पार्किंग प्रभारी हो	सदस्य सचिव
4	नगर निगम के वित्त विभाग का एक अधिकारी	सदस्य

(क) नगर आयुक्त के पूर्वानुमोदन से अध्यक्ष द्वारा एक बाह्य सदस्य यदि अपेक्षित हो, का नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ख) नीलामी/निविदा समिति पार्किंग के लिए (क) सार्वजनिक और या नगर निगम की भूमि/परिसर पर और (ख) निजी भूमि/परिसर पर कार्य करेगी।

(ग) आवेदकों की तकनीकी पात्रता और वित्तीय पात्रता दोनों सुनिश्चित करने के लिए निविदा समिति पूर्व–अर्हता मानदंड तय करेगी।

(3) नीलामी/निविदा की निबंधन और शर्तें समिति द्वारा तैयार की जायेंगी और नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित की जायेंगी। निविदा या तो सम्पूर्ण नगर के लिए या कम से कम एक जोन के लिए जारी की जा सकेगी। जोनवार जारी की गयी निविदाओं के मामले में पार्किंग जोन की कुल संख्या नगर निगम के कुल जोनों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के आधार पर किया जा सकता है, जहां भूमि नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी और समस्त भौतिक अवसंरचना, साफ्टवेयर और लोक सेवाओं सहित प्रचालन और अनुरक्षण चयनित प्रचालक द्वारा किया जाएगा।

(4) ई0सी0एस0 और दरों के आधार पर नीलामी/निविदा समिति, बोली के न्यूनतम आरक्षित कीमत को नियत करेगी। आरक्षित कीमत को नियत करने हेतु नगर आयुक्त स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया कैप्स आदि जैसी विनिधान अभिकरणों की राय ले सकता है।

(5) राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर सफल बोलीकर्ता को उस पार्किंग स्थान की लाइसेंस देने पर विचार करने हेतु समिति द्वारा नगर आयुक्त को सिफारिश की जायेगी। सफल बोलीकर्ता द्वारा (क) आरक्षित कीमत अथवा (ख) राजस्व हिस्सेदारी में से जो अधिकतम होगा को संदत्त करना होगा।

उदाहरण–एक नगर निगम द्वारा शहर के भीतर राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर पार्किंग स्थान की निविदा के लिए आरक्षित कीमत के रूप में 10 करोड़ रूपये नियत किया गया। सफल बोलीकर्ता ने निगम को 45 प्रतिशत का राजस्व हिस्सा उद्धत किया है, जो गणना करने पर 11 करोड़ बनता है। इसलिए इस मामले में उसे 10 करोड़ रूपये के आरक्षित कीमत के बजाय निगम को 11 करोड़ रूपये का संदाय करना होगा।

(6) चयनित प्रचालक के साथ प्रचलित नियम और विधि के उपबंधों के अनुसार न्यूनतम 5 वर्ष का समुचित करार निष्पादित किया जायेगा। यदि नगर आयुक्त राज्य सरकार के आदेश पर पार्किंग दरें बढ़ाते हैं, तो लाइसेंस शुल्क आनुपातिक रूप से बढ़ जायेगी। पारस्परिक सहमति से 5 अतिरिक्त वर्षों तक सम्पूर्ण विस्तारित अवधि के लिए अन्तिम संदाय पर 25 प्रतिशत की वृद्धि के उपबंध के साथ इसे बढ़ाया जा सकेगा।

(7) नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अवधारित निबन्धनों और शर्तों के अधीन नगर निगम सीमा में सार्वजनिक पार्किंग के प्रबन्ध संचालन एवं अनुरक्षण और पार्किंग प्रभार की वसूली हेतु लाइसेंस उपनियम (1) के अधीन गठित नीलामी/निविदा समिति की सिफारिश पर दी जा सकेगी।

(8) प्रदान किया गया लाइसेंस अन्तरणीय नहीं होगा और न ही उपकिरायेदारी की जा सकेगी।

(9) ऐसी अवधि जिसके लिए लाइसेंस दिया गया था, की समाप्ति के पश्चात लाइसेंसधारी वहां पर किसी भी प्रकार की पार्किंग का प्रचालन नहीं करेगा।

(10) यान पंक्तिबद्ध खड़े किये जायेंगे ताकि अन्य यानों को पार्किंग स्थल से बाहर निकालने में असुविधा न हो।

(11) समुचित अनुरक्षण और प्रबन्ध लाइसेंसधारी द्वारा किया जायेगा।

(12) पार्किंग स्थिल के भीतर परिसर की सफाई और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों का ध्यान रखने का उत्तरदायित्व लाइसेंसधारी का होगा।

(13) पार्किंग स्थल पर हुई किसी प्रकार की टूट–फूट या क्षति का प्रतिकर प्रचालक द्वारा किया जायेगा।

(14) नगर आयुक्त के पास पार्किंग जगह को पार्किंग या अन्य किसी उपयोग के लिए एक वर्ष में कम से कम 5 पृथक या निरन्तर दिनों के लिए मुक्त रखने का अधिकार होगा।

(15) नगर आयुक्त के पास जिला आपदा प्रबन्धन अभिकरण के निदेश/अनुमोदन से आकस्मिक परिस्थितियों जैसे अप्रत्याशित घटना के मामले में पार्किंग जगह को पार्किंग से मुक्त रखने का अधिकार होगा।

(16) लोकहित में नगर आयुक्त को लाइसेंस निलम्बित अथवा रद्द करने का अधिकार होगा।

(17) इस नियमावली के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान कोई संविदा इसकी उल्लिखित शर्तों के अनुसार उसकी समाप्ति तक जारी रहेगी। समाप्त संविदा का विस्तारण नहीं किया जायेगा। पुरानी संविदा की समाप्ति के पश्चात आने वाली नयी संविदा इस नियमावली के अनुसार होगी।

(18) संविदा अवधि के दौरान सृजित परिसम्पत्तियां नगर निगम की सम्पत्ति समझी जायेगी। संविदा की समाप्ति पर प्रचालन पार्किंग सुविधा हेतु सृजित समस्त परिसम्पत्तियां नगर निगम को निर्मूल्य और कार्यशील स्थिति में हस्तगत करेगा।

पार्किंग स्थल हटाने की शक्ति

11—यदि कोई व्यक्ति, संस्था, अभिकरण, भागीदार या प्रचालक इस नियमावली के उपबंधों का उल्लघंन कर पार्किंग कृत्य प्रचालित करता है तो नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी पार्किंग का कार्य बन्द करा सकता है अथवा अन्य कोई कार्यवाही, जिसे वह उचित समझे, कर सकता है।

पार्किंग हेतु प्रतिषिद्ध/अनन्य क्षेत्र की घोषणा

12—(1) नगर आयुक्त या राज्य सरकार किसी क्षेत्र या वार्ड या सड़क को पार्किंग स्थानों के निर्माण, विकास अथवा प्रचालन के लिए प्रतिषिद्ध 'नो पार्किंग जोन' के रूप में घोषित कर सकेगी।

(2) नगर आयुक्त या राज्य सरकार नगर सीमा के भीतर किसी क्षेत्र या वार्ड या सड़क को निर्माण, विकास या विक्रय परिक्षेत्र के प्रचालन के लिए प्रतिषिद्ध घोषित कर सकता है ताकि वहां सार्वजनिक पार्किंग विकसित की जा सके।

अनधिकृत पार्किंग के विरुद्ध कार्यवाही

13—(1) अनधिकृत पार्किंग स्थलों और पार्किंग रहित परिक्षेत्रों/सड़कों पर अनधिकृत और त्रुटिपूर्ण पार्किंग के विरुद्ध नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यान उठाने के प्रभार के साथ कार्यवाही अधिरोपित की जायेगी। पार्किंग रहित परिक्षेत्र/सड़कें जहां शास्ति शुल्क (चालान) और अनुकर्षण प्रभार लिया जाता है, को नगर निगम और यातायात पुलिस विभाग के मध्य चर्चा के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण लाइसेंसधारी या प्रचालक अनधिकृत पार्किंग स्थलों और पार्किंग रहित परिक्षेत्रों/सड़कों से यान उठा या अनुकर्षित कर सकता है और नगर आयुक्त द्वारा समय—समय पर हटाने/उठाने के नियत प्रभार को वसूल सकता है।

(3) उपनियम (1) के अधीन यान उठाने का प्रभार नगर आयुक्त द्वारा नियत किया जायेगा, जो निगम और प्रचालक के मध्य उसके द्वारा विनिश्चित अनुपात में बांटा जायेगा। अनुकर्षण कार्य अधिमानतः पार्किंग निविदा का अंश होगा।

(4) अनुकर्षित यान नगर निगम द्वारा अभिहित पाटन (क्षेपण) साइट पर रखा जायेगा। स्वामी के मोबाइल नम्बर/पार्किंग ऐप पर उसके यान को खींचे जाने की तस्वीर/वीडियो और पाटन साइट के अवस्थान के साथ एक संदेश भेजा जायेगा। पाटन साइट पर प्रवेश की अनुज्ञा केवल नगर निगम के कर्मचारी और उल्लंघनकर्ताओं को दी जायेगी। यानों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए साइट का प्रवेश और निकास क्लोज सर्किट टेलीविजन (सी0सी0टी0वी0) युक्त रहेगा।

अपराधों की शास्ति और शमन

14—(1) इस नियमावली के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन, ऐसे जुर्माने से जो उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अनुसार पांच हजार रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जायेगा।

(3) अनधिकृत पार्किंग के लिए यान स्वामी से यातायात मानकों/विनियमों के अनुसार शास्ति शुल्क सहित अनुकर्षण प्रभार प्रभारित किया जायेगा। प्रभारित अनुकर्षण शुल्क स्थानीय निकाय और प्रचालक में निम्न लिखित अनुपात में बांटा जायेगा :–

नगर निगम	अनुकर्षण शुल्क का बॉटना	
	प्रचालक	स्थानीय निकाय
10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले	20 प्रतिशत	80 प्रतिशत
10 लाख से कम जनसंख्या वाले	30 प्रतिशत	70 प्रतिशत

(4) संविदा मूल्य् का न्यूनतम आधा प्रतिशत (0.5 प्रतिशत) की दर से प्रति सप्ताह प्रति अवस्थिति देरी, जो कि संविदा मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा, के अनुसार परिनिर्धारित नुक्शानी प्रचालक से उद्गृहीत की जा सकेगी, यदि पार्किंग स्थान में संविदा निष्पादन के दो माह के भीतर स्मार्ट समाधान विकसित और प्रारम्भ नहीं किया गया।

(5) संविदा मूल्य का दसवां प्रतिशत (0.1 प्रतिशत) की दर से प्रति सप्ताह प्रति अवस्थिति देरी, जो कि संविदा मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत वार्षिक होगा, के अनुसार परिनिर्धारित नुक्शानी प्रचालक से उद्गृहीत की जायेगी। यदि पार्किंग स्थल पर खड़े किये गये वाहनों की संख्या टिकट किये गये वाहनों से अधिक हैं।

(6) शास्ति उपबंध प्रचालक चयन के लिए प्रकाशित प्रस्ताव/निविदा अभिलेख में उपलब्ध कराये जायेंगे।

विविध

15–(1) अपरिहार्य घटना की स्थिति में जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी0डी0एम0ए0) को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (अधिनियम संख्या 53 सन् 2005) के उपबंधों के अनुसार शक्तियां होंगी।

(2) लाइसेंस करार के किसी भी निबंधन और शर्तों को पूर्ण करने या पालन करने के लिए किसी भी पक्षकार द्वारा कोई विफलता या लोप प्रश्नगत पक्षकार के विरुद्ध किसी भी दावे को उत्पन्न नहीं होने देगी या इस करार का भंग होना नहीं माना जायेगा, यदि ऐसी विफलता या लोप किसी भी ऐसे कारण से उत्पन्न होती है जो उस पक्षकार के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे है और जिसमें असीमित युद्ध, युद्ध जैसा प्रचालन, विप्लव, दंगा, आग, विस्फोट, दुर्घटना, शासकीय कृत्य, सामग्री नियंत्रण विनियम या आदेश, दैवकृत, लोक शत्रु के कृत्य, महामारी और संगरोध प्रतिबन्धक आदि सम्मिलित हों, परन्तु यह कि गैर–निष्पादित पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को उन दायित्वों, जो वह प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होगा, की त्वरित लिखित नोटिस प्रदान की हो, और ऐसी किसी भी अपरिहार्य स्थिति के प्रभाव को कम करने की लिए समस्त युक्तियुक्त प्रबन्ध किया हो।

(3) यदि कोई अपरिहार्य घटना, जो ठेकेदार को इस करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकती है, और तीस (30) दिनों के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो नगर निगम इस करार को लिखित नोटिस द्वारा समाप्त करने का हकदार होगा।

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

प्रारूप–1

[नियम 8 (3) देखिये]

पार्किंग स्थान के आवंटन हेतु आवेदन

(अवधि.....से.....तक)

1–पार्किंग स्थान का नाम.....

2–आवेदक का नाम.....

3–पिता का नाम.....

4–पैनकार्ड संख्या.....

5–मोबाइल संख्या.....

6–पता.....

7–अधिकतम प्रस्तावित धनराशि अंको/शब्दों में.....

8–संलग्न बैंक ड्राफ्ट/बैंक का नाम/नकद धनराशि का ब्यौरा.....

9–आवेदन शुल्क के सम्बन्ध में बैंक ड्राफ्ट/बैंक का नाम/नकद धनराशि का ब्यौरा...

.....

आवेदक की प्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ

वचनबद्धता

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....घोषणा करता/करती हूं कि–

(1) मैंने चरित्र प्रमाण–पत्र और अन्य अपेक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न किया है।

(2) मैंने विषय से संबंधित निबंधन और शर्तें, सुसंगत नियमों और विनियमों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है।

(3) मुझे प्राधिकारियों द्वारा सीमांकित उपरोक्त पार्किंग स्थान की सीमा का पूर्ण ज्ञान है।

(4) मैं प्राधिकारियों द्वारा समय–समय पर जारी सभी निबंधनों, शर्तों, निदेशों और आदेशों का पालन करुंगा।

(5) मैं किराये या उप–संविदा या अन्यथा सहित किसी भी रीति, जो भी हो, पार्किंग स्थान का प्रचालन और अनुरक्षण किसी व्यक्ति या प्रचालक या अभिकरण को हस्तान्तरित नहीं करुंगा।

दिनांक :

आवेदक का हस्ताक्षर

संलग्नक :

प्रारूप–2

[नियम–9 (4) देखिये]

1–नगर निगम का नाम.....

2–पार्किंग स्थान का नाम.....

3–प्रचालक का नाम.....

4–मोबाइल संख्या.....

5–पार्किंग शुल्क की दरें.....

(1) कार एवं अन्य चार पहिया वाहन.....

(2) स्कूटर/मोटर साइकिल.....

नोट : शिकायत निवारण हेतु सम्पर्क करें .....

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1620/IX/9-2024-07J-2024, dated September 12, 2024 :

No. 1620/IX/9-2024-07J-2024

Dated Lucknow, September 12, 2024

The following draft rules which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sub-section (ix-a) of section 114, sub-section (1) of section 540 and section 124 *read* with section 550 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act,1959 (UP Act no.2 of 1959), is hereby published as required by sub-section (2) of section 540 of the said Act and sub-section (2) of section 23 of the Uttar Pradesh General Clauses Act (Act no. 1 of 1904) for information of all concerned with a view to invite objections and suggestions in respect thereof.

Objections and suggestions if any shall be sent in writing, addressed to the Pramukh Sachiv, Nagar Vikas Anubhag-9, Bapu Bhawan, Lucknow or on email id nagarvikasanubhag9@gmail.com.

Such objections and suggestions as are received within thirty days from the date of publication of this notification in the *Gazette*, shall be taken into consideration only.

DRAFT RULES

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (CONSTRUCTION, MAINTENANCE AND OPERATION OF PARKING LOTS) RULES, 2024

Short title, Extent and Commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Construction, Maintenance and Operation of Parking Lots) Rules, 2024.

(2) They shall apply to every Municipal Corporation in Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette.*

Definition

2-(1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(a) **"Act"** means the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (UP Act no. 2 of 1959);

(b) **"Car Bazar"** means a market place to sell or buy used cars including/excluding accessories shops;

(c) **"Car Spa/Salon"** means a place or facility where cars are washed and restored to their original shine including/ excluding accessories shops;

(d) **"Equivalent Car Space"** hereinafter referred to as **"ECS"** means unitary space requirement for parking a vehicle in terms of a car;

(e) **"Fees or User Charges"** means a charge collected from the user for the parking of vehicle;

(f) "**Liquidated Damage"** means an exact amount of money, or a set formula to calculate the amount of money, a party will owe if it breaches a contract, in order to compensate the injured party for its losses;

(g) **"Mechanical Parking"** means a mechanical system to provide parking of vehicles on multiple levels stacked vertically through an elevated device;

(h) **"Multi-level Parking"** means the vertical parking lots that have multiple floors to park the vehicles like ramp-based parking, mechanical parking, *etc*;

(i) **"Off Street Parking"** means parking the vehicle anywhere but on the streets. The off-street parking lots are of different types– Open/ Surface, Basement and Multi level Parking, and/or a combination of these;

(j) **"On Street Parking"** means parking vehicles on the side of a public road or street;

(k) **"Open/Surface Parking"** means parking spaces that are not covered by a building and are available at the ground level only;

(l) **"Operator"** means a person, or an agency authorized under rules by competent authority to maintain, manage the parking lot and to realize the fee or user charges;

(m) **"Parking lot"** means such authorized and identified piece of land or building or structure or place where vehicles may be parked, including multilevel parking like mechanical parking, *etc*;

(n) **"Vehicle"** means a wheeled conveyance capable of being used on street and includes a bicycle, tricycle or motor vehicle as defined in the Uttar Pradesh Motor vehicles Taxation Act,1997 (UP Act no. 21 of 1997);

(2) Words and expressions used but not defined in these rules, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Prohibition

3- (1) No person shall park any vehicle or get the vehicles parked on any road, road pavement, footpath or public place other than parking places identified and authorized by the Municipal Commissioner. In case of a private place, commercial parking may be allowed with payment of a Licence fee towards Municipal Corporation.

(2) Any person driving or parking a vehicle within the parking place shall have to obey all signs and instructions exhibited in the parking place and shall have to follow all the terms and conditions mentioned therein.

Constitution and Composition of Parking Management Committee

4- There shall be constituted in every Municipal Corporation, a committee to be known as the Parking Management Committee under the Chairmanship of the Municipal Commissioner consisting of :-

(i) Secretary, Development Authority (if any)	*Member*
(ii) Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police/Deputy Commissioner of Police	*Member*
(iii) An officer not below the rank of Superintendent of Traffic Police or Deputy Commissioner of Police/Additional Deputy Commissioner of Police (Traffic)	*Member*
(iv) Additional District Magistrate at concerned Municipal Corporation	*Member*
(v) Seniormost Officer of Public works Department at concerned Municipal Corporation	*Member*
(vi) Seniormost Officer of Uttar Pradesh Power Corporation Limited at concerned Municipal Corporation	*Member*
(vii) Seniormost Officer of Transport Department at concerned Municipal Corporation	*Member*
(viii) An officer of Town and Country Planning Department, if any, not below the rank of Assistant Town Planner/an officer of Town Planning Wing/ Department of Development Authority, if any, not below the rank of Town Planner (nominated by Vice Chairman, Development Authority;	*Member*
(ix) Accounts Officer of Municipal Corporation	*Member*
(x) All Zonal Officers of the concerned Municipal Corporation	*Member*
(xi) Municipal Commissioner can opt for any officer other than Chief Engineer not below the rank of Assistant Engineer (Civil/Traffic/ Environment)	*Member Secretary*
(xii) An expert from the Transport field from a reputed organisation/institution	*Member*

Functions of Committee

5- The functions of Parking Management Committee shall be,–

(i) to survey, identify and finalize all the public and/or private on street and off-street parking lots in the city with the number of ECS they can provide zone wise. Here, maximum possible ECS will be calculated as per the local building bye-laws, including the Circulation and Service Area.

(ii) to look after and monitor the procedures for disposal or allotment of the parking lots.

(iii) to ensure the transparency in the matter related to parking lots.

(iv) to supervise the management and inspect the parking lots and suggest the Municipal Corporation for improvements from time to time.

(v) to perform any other function in the public interest regarding the matter as it thinks proper.

(vi) to give such advice on the matter of parking lots and enhancement of their efficiency and facilities as the State Government may, from time to time require to do so or on request of the Municipal Corporation.

(vii) to discharge such other functions in the field of parking of vehicles and parking lots including the development, management, maintenance and betterment of the facilities regarding the matter.

(viii) the committee shall meet once in six months at least to perform its functions properly.

Arrangement of parking places

6- The arrangement of parking places, as required, may be done on various places in the city by the Municipal Corporation in the following manner :-

(a) Capacity development and proper maintenance of existing parking places shall be ensured.

(b) Construction of multi level parking lots, increasing of their number and floor heights as required, shall be done.

(c) Multi Level Parking System with preference to Mechanical Parking system shall be encouraged specially in dense and old areas of the city.

(d) Provisions of minimum 20 % of ECS of Parking Space for charging facilities of Electric Vehicles shall be ensured at parking places.

(e) In special conditions, symmetrical parking may be permitted on the roads and streets having a minimum width of 12 (twelve) metres or more identified and recommended by the Parking Management Committee after approval of the Municipal Commissioner.

(f) Parking space for differently abled persons shall be provisioned in Off Street Parking with first few parking from the entry reserved for them.

(g) The construction of underground parking places under the parks may be done so, that approximate 90% part in the parks on the ground shall be green fields and their development and maintenance shall be ensured in accordance with the prevailing building bye-laws.

(h) For parking places, alternate spots as under the flyovers wherever suitable, parking arrangement along with green belt, places for markets and fares, open public spaces and like wise other places whenever they are not in use of their above purposes, may be utilized for parking in fixed period.

(i) Review of parking standards for commercial and mixed land use and provision of authorized parking on suitable streets may be considered.

(j) Adequate parking lots shall be ensured in all public, commercial and institutional buildings.

(k) Parking fee or user charges along with penalty may be recovered for the four vehicles parked in the night from 11 pm to 6 am on the public roads and public places. A permit has to be obtained by the vehicle owner from the Municipal Corporation to use the public space for night parking. Municipal Commissioner shall provide an online portal for the issue of permit, which shall be mandatory before charging night parking fee and/or penalty from the vehicle owners. The minimum rate charges for issue of permit for four wheelers for Night Parking on public roads and places shall be as follows :-

Night Parking Charges for parking on Public Roads and Places within Municipal Corporations			
Per Night (in Rs.)	**Weekly (in Rs.)**	**Monthly (in Rs.)**	**Yearly (in Rs.)**
100	300	1000	10,000

The penalty in case of not obtaining the permission for night parking charges shall be 3 times of the permit fee.

(l) The Municipal Corporation, wherever it considers appropriate in the public interest, may enter into any private sector participation agreement under Public Private Partnership mode for developing parking lots in accordance with the provisions of section 137-A of the Act through open bid.

(m) Whenever any development plan in the urban areas is framed or layout is prepared or sanctioned or any work of such type is performed by the Development Authorities, Developers, or any type of institutions, adequate parking facilities shall be ensured. Provisions for statutory car parking should be incorporated in the building bye-laws.

(n) "Park and Ride" facilities shall be encouraged at major nodes of public transportation.

(o) Privatization of parking arrangements shall also be considered and regulated to minimize the pressure on parking arrangements built and operated by the Municipal Corporation.

(p) By providing mass transportation and metro facilities *etc*. and discouraging the uses of private vehicles, parking demand may be minimized.

(q) Parking arrangements for commercial use may be ensured by other public and private establishments near railway stations, bus terminals/stands, offices, schools, colleges, hostels, factories, hospitals, commercial buildings and other non-residential buildings or places of the city, by seeking license from the Municipal Corporation for public parking.

(r) Smart parking system including the close circuit television surveillance cameras, digital signage, boom barriers, electric vehicle charging points, hand held devices, integration with FASTag and other payment gateways, automatic ticket dispenser, mobile application, parking censor/camera with analytics, parking cards with provisions for integration with Integrated Control and Command Centre (ICCC)/ Intelligent Traffic Management System (ITMS)/Information Technology (IT) control, *etc*. shall be mandatory for the new parking lots and existing parking lots which are tendered for operation and management. It will be introduced by the agency looking after the operation and maintenance of the parking lots. These provisions shall be kept in the Detailed Project Report (DPR)/Request for Proposal (RFP)/Expression of Interest (EOI) prepared for the Parking Lots of the city/zone.

(s) Municipal Commissioner may do a Memorandum of Understanding (MoU) with National Payments Corporation of India (NPCI) for encouragement of online payment through FAS Tag.

(t) A Car Spa/Salon and Car Bazar may come up with required infrastructure in the available Multi Level Car Parking areas only, as per the prevailing building bye-laws. These shall not be allowed in the Open/Surface Parking Lots.

(u) A License Fee will be charged from the Private Land/Premise owners for providing their land/premise on commercial purpose for public parking. The rate criteria for License Fee shall be decided by the Parking Management Committee from time to time.

(v) Parking in Industrial Areas, Development Authority Areas, Housing Board Areas, etc. and on Public Works Department/National Highways Authority of India roads within the Municipal limits would be governed by these rules, unless any exemption is given specifically by the Municipal Commissioner with prior permission from the Government. A Licence Fee will be charged from these departments/ organizations for providing their land/premise on commercial purpose for public parking.

(w) Civic amenities in the form of toilets, drinking water supply, *etc*. shall be provided within the parking site.

Demarcation of Limit

7- (1) Parking Management Committee will survey, identify and finalise all the public and private on street and off-street parking lots within the municipal limits with the number of ECS they can provide, with a certain portion of space reserved for 2 Wheelers as per the survey requirement

(2) Demarcation of the limit of every parking lot shall be done and limit signs shall be indicated.

(3) Parking out of the limit stipulated in sub-rule (2) shall be subjected to fine as recommended by the Parking Management Committee.

(4) The list of Parking Lots finalized will be published on the Nagar Nigam website/portal along with their details like lat-long values, number of ECS available, *etc*.

(5) For Parking Management Committee, it is mandatory to publish a Master List of Parking Places finalised within the 90 days of publication of these rules in *Gazette* notification. They can amend the list later on, if required.

Operation and Maintenance of Parking Lots

8-(1) Proper maintenance of parking lots developed by the Municipal Corporation shall be done by the Municipal Commissioner or by any person authorized by him.

(2) The Municipal Commissioner shall have the power to maintain, operate, manage, regulate, parking lots and cause to be recovered user charges/fee for the same in any one or more of the following modes :-

(i) by public sector participation agreement;

(ii) by public auction;

(iii) by inviting tenders;

(iv) by own sources of the local body (for emergency situation only with the period being not more than 6 months);

(3) The determination of terms and conditions for any of the mode mentioned in sub-rule (2) shall be specified by the Municipal Corporation and application shall be received in Form-1 appended to these rules.

(4) Other details, terms and conditions, restrictions, information, securities, procedures and other required directions as may be determined by the Municipal Corporation.

(5) No advertisements and activities including any kind of Public Private Partnership (PPP) activity shall be permitted in the limit of parking lots, without the approval of the State Government.

Determination of Rates

9-(1) The rates of charges for parking of vehicles shall be determined by the Municipal Corporation on the recommendation of the Parking Management Committee. Until the Municipal Corporation approves the rates, Municipal Commissioner shall implement the rates recommended by the Parking Management Committee.

(2) After classification of various areas of the city, category wise separate rates of charges for parking in separate category may be recommended by the Parking Management Committee, keeping in view the peak hours, non-peak hours, weekdays, weekends, density of area, commercial activities *etc*.

(3) Rates of charges of parking in Parking Lots shall not be less than the following rates-

Municipal Corporation	Minimum Parking Charges for Parking Lots									
	For two hours (in Rs.)		For consecutive one hour (in Rs.)		Night Parking (11pm to 6 am) (in Rs.)		24 hours (in Rs.)		Monthly Pass (in Rs.)	
	2 wheelers	4 wheelers	2 wheelers	4 wheelers	2 wheelers	4 wheelers	2 wheelers	4 wheelers	2 wheelers	4 wheelers
Population having 10 lakhs and more	15	30	7	15	50	100	57	120	855	1800
Population having less than 10 lakhs	10	20	5	10	30	60	40	80	600	1200

(4) Rates of charges for parking shall be displayed in Form-2, on the board measuring minimum 1 metre x 0.75 metre on any conspicuous place.

(5) It shall be ensured that the parking fee rate board may not be defaced with any paper, colour or otherwise.

(6) The rates of charges for parking of vehicles as given in sub-rule (3) of rule-9 shall be revised in every 5 years by the State Government.

Licence for Parking Lots

10-(1) The Municipal Commissioner shall constitute an Auction/Tender Committee chaired by an officer not below the rank of Additional Municipal Commissioner duly authorized by the Municipal Commissioner in this behalf with such number of members as he/she deems fit for recommendation on granting the licence for parking lots in respect of various modes under sub-rule (2) of rule 8 to the operators in transparent manner.

(2) There shall be constituted in every Corporation a Tender Committee under the Chairmanship of the Additional Municipal Commissioner, consisting of : -

S. N.	Officer	Designation
1	Additional Municipal Commissioner	Chairperson
2	Chief Engineer of the Corporation	Member
3	An officer not below the rank of Assistant Municipal Commissioner in charge of parking	Member, Secretary
4	An officer from Finance Department of the corporation	Member

(a) If required, an external member shall be nominated by the chairperson with prior approval of Municipal Commissioner.

(b) The Auction/Tender Committee shall work for Parking (a) on Public and/or Municipal Corporation Land/Premises, and (b) on Private Land/Premises.

(c) Tender Committee shall set the pre-qualification criteria ensuring both Technical Eligibility and Financial Eligibility of the applicants.

(3) Terms and conditions of auction/tender shall be prepared by the committee and be approved by the Municipal Commissioner. The tender floated will be either for the whole city or at least for a zone. In case of tenders being floated zone wise, the total number of Parking Zones should not be more than the number of zones in the Municipal Corporation.

It may be on Public-Private Partnership (PPP) basis, where land will be provided by the Municipality and the operation and maintenance will be taken care of by the selected operator including providing all physical infrastructure, software and public services.

(4) Auction/Tender Committee shall fix a minimum reserve price for bidding on ground of ECS and rates. For fixing reserve price, Municipal Commissioner may take opinion of investment agencies like State Bank of India Caps, etc.

(5) The successful bidder on revenue sharing basis shall be recommended by the Committee to the Municipal Commissioner to consider for granting licence to such parking lot. The amount to be paid by successful bidder shall be the highest among (a) Reserve Price or (b) Revenue share.

Example: A Municipal Corporation has fixed Rs. 10 Cr. as the Reserve Price for tendering of parking lots on revenue sharing basis within the city. The successful bidder has quoted a revenue share of 45% to the Corporation, which on calculation comes out to be 11 Cr. So, in this case he/she has to pay Rs. 11 Cr. to the Corporation instead of Reserve Price of Rs. 10 Cr.

(6) Proper agreement shall be executed with selected operator for minimum 5 years in accordance with prevailing provisions of rules and law. If Municipal Commissioner hikes the parking rates on the order of the State Government, licence fee will increase proportionately. It can be extended up to 5 more years on mutual consent with a provision of 25% increment for the whole extended period on the last payment.

(7) Licence shall be granted for management, operation and maintenance of public parking in the Municipal limit and for recovery of parking charges under restrictions and conditions determined by the Municipal Commissioner or any officer authorized by him in this behalf on the recommendation of Auction/Tender Committee constituted under sub-rule (1)

(8) The licence granted shall not be transferable and cannot be sublet.

(9) After expiry of the period for which the licence has been granted, the licence holder shall not operate any kind of parking there on.

(10) Vehicles shall be parked symmetrically, so that this may not cause inconvenience to other vehicles coming out from parking place.

(11) Proper maintenance and management shall be done by the licence holder.

(12) It shall be the responsibility of the licence holder to pay attention towards, cleanliness and health conditions of the premises with in the parking place.

(13) Any kind of breakages or damages at parking place shall be compensated by the operator.

(14) Municipal Commissioner shall have the right to make parking space free for parking or for any use for at least 5 separate or consecutive days in a year.

(15) Municipal Commissioner shall have the right to make parking space free for parking in case of unforeseen circumstances, like Force Majeure, with directions/approval of District Disaster Management Authority.

(16) In the public interest, the Municipal Commissioner shall have the right to suspend or cancel the licence.

(17) Any contract in existence before coming into force of these rules will continue till its expiry as per its mentioned conditions. No extension will be granted to the expired contract. The new contract coming up after the expiry of the old contract will be as per these rules.

(18) The assets created during the contract period shall be deemed to be the property of municipality. The operator will hand over all assets created for parking facility to municipality free of cost and in working condition at the expiry of the contract.

Power to remove Parking Place

11- If any person, institution, agency, partner or operator operates parking functions in contravention of the provisions of these rules, the Municipal Commissioner or any officer authorized by him/her in this behalf may get the same removed or stopped or may take any other action as he/she deems fit.

Declaration of Prohibited/ Exclusive Area for Parking

12-(1) The Municipal Commissioner or the State Government may declare any of the area or the ward or the road as no parking zone prohibited for construction, development or operation of parking lots.

(2) The Municipal Commissioner or the State Government may declare any of the area or ward or the road within the Nagar Nigam limits prohibited for construction, development or operation of vending zone, so that public parking may be developed there.

Action against Unauthorized Parking

13-(1) Action against unauthorized and wrong parking, on unauthorized parking places and no parking zones/roads, together with the vehicle lifting charges may be imposed by the Municipal Commissioner or any officer authorized by him in this behalf. The No Parking Zones/Roads, where Penalty Fee (Challan) and Towing Charges will be charged, will be finalised after discussion between Municipal Corporation and Traffic Police Department.

(2) Any officer or agency, licensee or operator, authorized by the Municipal Commissioner may lift or tow the vehicles from unauthorized parking places and from no parking zones/roads and realise removal/lifting charges fixed by the Municipal Commissioner from time to time.

(3) Vehicle lifting charges under sub-rule (1) shall be fixed by the Municipal Commissioner which shall be shared between the Corporation and the operator in the ratio decided by him. Towing work will be preferably a part of Parking Tender.

(4) The towed vehicle will be put at a dumping site designated by the Municipal Corporation. A message will be sent to owner's number/parking app with the picture/video of its vehicle being towed away and location of dumping site. Entry to Dumping Site would be allowed to Nagar Nigam people only and the offenders. Entry and Exit of site will be Closed Circuit Television (CCTV) enabled for safety and security of vehicles.

Penalty and Composition of Offences

14-(1) Any contravention of the provisions of these rules shall be punishable with fine which shall be at least Five hundred rupees per offence as per the provisions of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) any offence punishable under these rules may be compounded by the Municipal Commissioner or any officer authorized by him in this behalf.

(3) Penalty Fee (Challan) plus Towing Charges will be charged from owner of vehicle for unauthorized parking as per traffic norms/ regulations. The Towing Fee charged would be shared among the local body and operator in the following ratio :-

Municipal Corporation	**Towing Fee Sharing**	
	Operator	**Local Body**
Population having 10 lakhs and more	20%	80%
Population having less than 10 lakhs	30%	70%

(4) Liquidated Damage may be levied minimum at the rate of half percent (0.5%) of the contract price per week of delay per location, subject to a maximum of 10 percent of the contract price on Operator, if Smart Solutions are not developed and started within two months of the contract execution in a parking lot.

(5) Liquidated Damage may be levied minimum at the rate of one-tenth percent (0.1%) of the contract price per week of delay per location, subject to a maximum of 10 percent per annum of the contract price on Operator, if number of vehicles parked is more than number of vehicles ticketed in a parking lot.

(6) Penalty provisions shall be provided in the Request for Proposal/Tender document being published for selecting operator.

Miscellaneous

15-(1) In the event of Force Majeure, the District Disaster Management Authority (DDMA) will have powers as per the provisions of the Disaster Management Act, 2005 (Act no. 53 of 2005)

(2) No failure or omission by either Party to carry out or observe any of the terms and conditions of the License Agreement shall give rise to any claim against the Party in question or be deemed a breach of this Agreement if such failure or omission arises from any of the causes beyond the reasonable control of that Party, including, without limitation, war, warlike operaton, insurrection, riot, fire, explosion; accident; governmental act, material control regulations or orders, act of God, act of the public enemy, epidemic and quarantine restriction provided that the non-performing party has provided the other party with prompt written notice of the obligations it will not be able to perform and has taken all reasonable care to minimize the effect of any such force majeure situation.

(3) If a force majeure event, that prevents the Contractor from performing its obligations under this Agreement, does not end within thirty (30) days, then the Municipal Corporation shall be entitled by written notice to terminate this Agreement.

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.

FORM-1

[*see* rule-8(3)]

Application for allotment of parking lot

(Period ----------to ----------)

Attested coloured photograph of Applicant

1. Name of Parking Lot ----------

2. Name of the Applicant ----------

3. Name of the Father----------

4. Number of PAN CARD ----------

5. Mobile Number ----------

6. Address ----------

7. Maximum amount offered---------- in words----------

8. Details of Bank Draft/Banks name/cash attached----------

9. Details of Bank Draft/Bank name/Cash regarding application fee ----------

---

Undertaking

I ----------son/daughter/wife of Mr.----------declare that----------

---

(1) I have attached the Character Certificate and other required certificates.

(2) I have thoroughly gone through the terms and conditions, relevant rules and regulations regarding the subject.

(3) I am fully aware of the limit of the above parking lot demarcated by the authorities.

(4) I shall follow all the terms, conditions, directions and orders of authorities issued from time to time.

(5) I shall not transfer in any manner whatsoever including rent or subcontract or otherwise the operations and maintenance of the parking lot to any other person or operator or agency or operator.

Date:- Signature of Applicant

Enclosures -

FORM-2

[*see* rule-9(4)]

1. Name of Nagar Nigam ----------

2. Name of Parking Lot----------

3. Name of the Operator ----------

4. Mobile Number ----------

5. Rates of Parking Fee-

    (1) Car and other four wheelers ----------

    (2) Scooter/Motor Cycle ----------

NOTE:- For grievance redressal contact ----------

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 249 राजपत्र–2024–(667)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 2 सा0 नगर विकास–2024–(668)–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।